

नून चाद में डिग्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम कोर्ट) **श्री राहुल सैनी रायपुरिया**

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी (R.A.S.)**

**शिवराज सिंह**

उन्तान

बनम

राजस्थान सरकार

कार्य बाबत

**नाम डुरुस्ती U/S 88 RTA**

सूचना नम्बर :-

**91/2021**

निगम दिनांक :-

**18-11-2021**

वादी की ओर से

**स्वयं**

को व प्रतिवादी के द्वारा है **पैरोकार राग**

की उपस्थिति में इस बात में आज तारीख **17-11-21** को

**श्री राहुल सैनी**

(नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, चूरु के द्वारा अनिवार्य विचारों के लिए पेश होने पर कार्य किया जाता है और डिग्री दी जाती है कि - **वादी द्वारा**

प्रस्तुत प्रमाण दावा स्वीकार किया जाकर **रुबी शुभे खाता सं. 76 खसरा न. 503/504 511/138** यही ग्राम **रायपुरिया** में वादी का नाम **पुरुषोत्तम पुत्र कुलसिंह** के स्वाम पर **शिवराज सिंह पुत्र कुलसिंह** अंकित करने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलवार चूरु उपखण्डवार राजस्थान सरकार में अमल दरमद करे।**

सूची पक्ष परमपत्र को अपना वहन करेंगे।

इस कार्य तारीख **17-11-2021** को मेरे इलाक़ा से और न्याय को न्याय न्याय



**शिवराज सिंह**  
17/11/21  
**श्री राहुल सैनी**  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

वाद के खर्च

वाद	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शन के लिए स्टाम्प	फ्लौडर की फीस
4. रूपरेखा पर फ्लौडर की फीस	साक्षियों के लिए निवहन व्यय
5. साक्षियों के लिए निवहन व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	

₹ 1306  
17-11-2021

